# चित्रकूट-पुलिस

**(1).** “मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण,स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम,निम्न आय वर्ग बस्तियों,गांवों,वार्डों,मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों,कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता,साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी,महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण,गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). आज दिनाँक 14.12.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह अध्यक्षता में जनपद के समस्त थानों में स्थापित मिशन शक्ति केन्द्र के संचालन हेतु पुलिस के उत्तरदायित्व तथा विभिन्न महिला अपराधों से सम्बन्धित पुलिस मुख्यालय से जारी मानक संचालन प्रक्रिया(SOP) के सफल क्रियान्वयन हेतु पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में समस्त थानों के मिशन शक्ति केन्द्र प्रभारियों व कर्मियों के साथ गोष्ठी आयोजित की गयी।

मीटिंग में पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि प्रत्येक थाने के परिसर में महिलाओं के लिए समर्पित मिशन शक्ति केन्द्र जिसका उद्देश्य महिलाओं के साथ उत्पीड़न रोकने, उनके विरूद्ध हो रहे अपराधों को नियंत्रित करने, उनको सहायता प्रदान करने एवं महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु ,महिला शिकायतकर्ताओं के प्रति संवेदनशीलता, तत्परता, प्राथमिकता एवं उनके साथ होने वाली किसी भी घटना के उपरान्त समुचित काउंसलिंग, सहयोग एवं संरक्षण के साथ ही उपरोक्त कार्यों हेतु जवाबदेही तय करने के लिए हम कटिबद्ध है। महिलाओं की सुरक्षा हेतु संचालित एण्टी रोमियो स्क्वाड, महिला बीट प्रणाली, महिला हेल्प डेस्क का समुचित व समयबद्ध संचालन होना सुनिश्चित हो। मिशन शक्ति केन्द्र में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण अभिलेखों जैसे-1. महिला हेल्प डेस्क प्रार्थना पत्र रजिस्टर 2. काउंसलिंग रजिस्टर 3. एण्टी रोमियो स्क्वॉड रजिस्टर 4. महिला बीट रजिस्टर 5. निरीक्षण पुस्तिका 6. प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्टर 7. निरोधात्मक कार्यवाही रजिस्टर 8. फीडबैक / फॉलोअप रजिस्टर के रखरखाव एवं अद्यावधिक रखने की जिम्मेदारी मिशन शक्ति केन्द्र प्रभारी व सम्बन्धित कर्मी की है। प्रभारी अपने अधीन कार्यरत समस्त कर्मचारियों (उपनिरीक्षक, हेड कान्सटेबल, कान्सटेबल) की निगरानी, मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करना। यह सुनिश्चित करना है।

महिला सम्बन्धी प्राप्त सभी शिकायतों का दैनिक पर्यवेक्षण करना और यह सुनिश्चित करना कि वे तुरन्त दर्ज हों और उन पर समयबद्ध कार्यवाही हो। संवेदनशील और जटिल मामलों में सीधा हस्तक्षेप और मार्गदर्शन प्रदान करना है।
इस दौरान वाचक पुलिस अधीक्षक निरीक्षक श्री राजीव कुमार सिंह,प्रभारी महिला सेल निरीक्षक श्री जय प्रकाश उपाध्याय,पीआरओ श्री प्रदीप पाल व अन्य पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

(3). आज दिनाँक 14.12.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह के पर्यवेक्षण में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने एवं अपराध नियंत्रण: संदिग्ध अपराधियों,असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही के क्रम में क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी श्री निशिकान्त राय, प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री श्रीप्रकाश यादव एवं प्रभारी निरीक्षक मऊ की उपस्थिति में पुलिस टीम द्वारा थाना मारकुण्डी क्षेत्र के डोडामाफी के जंगल में कॉम्बिंग की गयी। कॉम्बिंग का उद्देश्य जनपद के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है,संवेदनशील इलाकों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए व संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख गैंग वार या अन्य संदिग्ध गतिविधियों पर रोकथाम करना है साथ ही पुलिस की सक्रियता से जनता में सुरक्षा का भाव पैदा होगा

(4). आज दिनाँक 14.12.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने एवं अपराध नियंत्रण: संदिग्ध अपराधियों,असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह, थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना भरतकूप क्षेत्र के मड़फा,मानपुर,यादवपुरा और कुलुआमाफी के जंगल में एवं प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री आशुतोष तिवारी,थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री सत्यमपति त्रिपाठी के नेतृत्व में थाना बहिलपरवा क्षेत्र के माडो बाँध,ददरीमाफी के जंगल में कॉम्बिंग की गयी। पुलिस टीम द्वारा जंगल में की जी रही कॉम्बिंग का उद्देश्य जनपद के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है,संवेदनशील इलाकों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए व संदिग्ध गतिविधियों पर नजर

रख गैंग वार या अन्य संदिग्ध गतिविधियों पर रोकथाम करना है साथ ही पुलिस की सक्रियता से जनता में सुरक्षा का भाव पैदा होगा।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह व क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में थाना मानिकपुर पुलिस टीम ने झरी फाटक के पास विश्वास घात कर धोखाधड़ी से पैसे लेने वाले 02 आरोपी अभियुक्तों को 01 अदद अवैध तमंचा ,01 अदद जिन्दा कारतूस व कुल 10000/- रुपए के साथ गिरफ्तार किया।

अभियुक्तों का नाम पता का विवरण-

1.ठाकुर प्रसाद पुत्र मिन्टर निवासी कुपनाघाट ,महुआ खेडा थाना साहनगर जनपद पन्ना (म0प्र0) ।

2.दुहारन पुत्र हरियाणा उम्र 30 वर्ष निवासी कुपनाघाट ,महुआ खेडा थाना शाहनगर पन्ना (म0प्र0)

बरामदगी-

1.कुल 10 हजार रुपए।

2.01 अदद तमंचा 315 बोर व 1 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी का स्थान/दिनाँक-

वासा पहाड रेलवे स्टेशन के पास बने रपटा के पास/14.12.2025

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 06.12.2025 को वादी सत्यम सिंह पुत्र श्री सुरेश सिंह निवासी छेआँ थाना कोइरौना जिला भदोही द्वारा थाना मानिकपुर सूचना दी गयी कि पिछले कुछ दिनों से मेरे पुर्व परिचित का व्यक्ति शिवशंकर उन्हे अपने पास बुला रहा था। वह कह रहा था कि लेबर का काम करते समय खुदाई में कुछ सोने के बिस्किट मिले है। तुम आकर सस्ते दामों में खरीद लो जिस पर आज दिनांक 06/12/25 को अपने सगे भाई विश्वजीत सिंह के साथ प्रयागराज से शिव शंकर के बताने के अनुसार मानिकपुर रेलवे स्टेशन पहुँचा जहाँ शिवशंकर मिला और अपने साथ लेकर झरी फाटक रोड से अन्दर जंगल में दिन के करीब 01.00 बजे ले गया जहाँ उसके 04-05 साथी थे। जिन्होंने एक पोटली में सोने का छोटा छोटा विस्किट दिया और उनको उसके बदले में 2 लाख 55 हजार रूपये दिया। उनके द्वारा दिये गये सोने के विस्किट को देखने लगे तब सभी लोग पैसा लेकर चले गये।पता चला कि वे नकली सोने का विस्किट है। इस सूचना पर थाना मानिकपुर पर मु0अ0सं0 224/25 धारा 318(4)/316(2) पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर को अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

आज दिनाँक 14.12.2025 को प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री श्रीप्रकाश यादव, उ0नि0 गौरव तिवारी थाना मानिकपुर व उनकी टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि टप्पेबाजी वाले मुकदमे के दो आरोपी वासा पहाड रेलवे स्टेशन के पास बने रपटा के पास कही जाने की फिराक में छुपकर बैठे है, ट्रेन का इन्तजार कर रहे है यदि जल्दी किया जाये तो पकडा जा सकता है मुखबिर की सूचना पर बताये गये स्थान पर पहुँचकर आवश्यक बल प्रयोग कर मौके पर ही दोनो व्यक्तियो को पकड़ लिया गया। पकडे गये व्यक्तियो का नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी लेते हुये छिपकर बैठने का कारण पूछा गया तो एक ने अपना नाम ठाकुर प्रसाद पुत्र मिन्टर निवासी कुपनाघाट,महुआ खेडा थाना साहनगर जनपद पन्ना (म0प्र0) बताया जिसकी जामा तलाशी से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 1 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ । दूसरे ने अपना नाम दुहारन पुत्र हरियाणा निवासी कुपनाघाट ,महुआ खेडा थाना शाहनगर पन्ना (म0प्र0) बताया। पूंछताछ करने पर दोनो बताये कि लगभग 01 हफ्ता पहले हम लोग अपने साथी अजयदेव पुत्र राकेट लाल व अलवक आदिवासी पुत्र बंकट निवासीगण खमतरा थाना शाहनगर (पन्ना) (म0प्र0) के साथ मिलकर भदोही के एक पार्टी के साथ नकली सोने के

सिक्के व (गिन्नी) दिखाकर 2 लाख 55 हजार रूपये की ठगी किये थे पार्टी को अजयदेव ने बुलाया था हम लोगो को पता चला था कि हम लोगो की फोटो व नाम पुलिस जान गयी है वही पता करने के लिए आये थे हम दोनो को अजय देव ने अभी केवल 10000- 10000 रू दिया था जिसमे से हम लोगो ने 5000-5000 रू खर्चा कर दिये है ठाकुर प्रसाद से 5000रू 500,500 की नोट निकालकर यह कहते हुये  दिया कि यह वही रूपये है जो हमको टप्पेबाजी के बाद हिस्से मे मिले 10000 रू0 मे से बचे हुये 5000 रू0 है। दुहारन ने अपने 5000 रूपये 500,500 रूपये की नोट निकालकर यह कहते हुये दिया कि हम लोगो द्वारा की गयी टप्पेबाजी मे मिले 10000 रू मे बचे हुए 5000 रूपये है वाकी पैसे अजय देव व अलवक के पास है। मुकदमा उपरोक्त में अवैध तमंचा कारतूस की बरामदगी के सम्बन्ध में 3/25 आर्म्स एक्ट व माल बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री श्रीप्रकाश यादव

2.उ0नि0 गौरव तिवारी थाना मानिकपुर

3..उ0नि0 हरि सिंह मय हमराह

4..मुख्य आरक्षी अशोक शर्मा

5.आरक्षी शरद कुमार सिंह

6.  चालक मुख्य आरक्षी सज्जन कुमार

(6).  पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द वर्मा के पर्यवेक्षण में घर में चोरी करने के 01 बाल अपचारी व 02 अन्य आरोपी अभियुक्तों को चोरी के आभूषण एवं 02 लाख 400 रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम पता का विवरण-

1. बाल अपचारी

2. राममिलन पटेल पुत्र जगतपाल पटेल निवासी कलवारा बुजुर्ग थाना पहाड़ी चित्रकूट

3. शिवकुमार सोनी पुत्र रामकृष्ण सोनी निवासी शंकर बाजार कुबेरगंज थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट

बरामदगी-

1. 02 लाख 400 रूपये नगद

2. कुल 01किलो 614 ग्राम चांदी के आभूषण

गिरफ्तारी का स्थान/दिनाँक-

मछलियां तिराहे से नहर व कच्चा रास्ता/14.12.2025

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 12.12.2025 को वादी मतोला सिंह पुत्र स्वराम औतार निवासी अहिरा मगराहाई हाल पता वार्ड नं0 6 तुलसी नगर ज्ञान भारती के बगल मे कर्वी चित्रकूट द्वारा कोतवाली कर्वी पर सूचना दी गयी कि उनके घर से ऊपर के कमरे के बक्से मे रखे सोना चांदी का समान लगभग 15-20 दिन पहले अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चुरा लिया है जिसमे लगभग 01 किलो करधनी, अढाई पाव का छागल, अढाई पाव गोडहरा, 01 किलो चूडी (साते संतान ) आधा किलो लच्छा चांदी का समान व 12 तोला का बिस्टकीट चांदी (गट्टी)था जिसमे सोना 20 आना आयरन कान के,आठ आना सोने का माला दो अगूठी चार चार आना सोने का समान था। जिसको तीन दिन पहले बक्सा खोलके देखा तो समान गायब था। इस सूचना पर कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 741/25 धारा 331(4),305 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी को घटना के शीघ्र अनावरण कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

आज दिनाँक 14.12.025 को कोतवाली कर्वी पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ज्ञान भारती की बगल में मतोला सिंह के मकान में हुई चोरी से संबंधित माल को बेचने और खरीदने के लिए कुछ लोग मछलियां तिराहे से नहर व कच्चा रास्ता पर खड़े हैं यदि जल्दी किया जाए तो चोरी गये समान व चोरों को पकड़ा जा सकता है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुँचकर खड़े तीनों व्यक्तियों को पकड़ लिया। पकड़े गए तीनों व्यक्तियों में से एक बाल अपचारी जिसकी जामातलाशी से 01 जोड़ी आयल, 500 रुपए के 200 नोट कुल 01 लाख रुपये नगद व 02 अन्य व्यक्तियों के नाम क्रमशः 1.राममिलन पटेल पुत्र जगतपाल पटेल निवासी कलवारा बुजुर्ग थाना पहाड़ी चित्रकूट बताया जिसकी जामा तलाशी से 500 रुपये की 200 नोट कुल 01 लाख रुपये नगद ,01 जोड़ी पायल 2. शिवकुमार सोनी पुत्र रामकृष्ण सोनी निवासी शंकर बाजार कुबेरगंज थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट जिसकी जामा तलाशी से दाहिने हाथ में लिए प्लास्टिक के थैले से 01 अदद बिछुआ तथा 01 अदद कमर बेल्ट,01 जोड़ी पायल,01 जोड़ी छगल ,01अदद पर्स से 200 रुपये की 01 नोट व 100 रुपये की 02 नोट कुल (400) चार सौ रुपये बरामद हुए। उक्त बरामद रुपए वह आभूषणों के संबंध में उक्त व्यक्तियों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो बाल अपचारी व राममिलन पटेल उपरोक्त द्वारा एक स्वर में बताया कि बाल अपचारी मतोला सिंह के मकान में जुलाई से किराए पर रहकर ज्ञान भारती स्कूल में पढ़ाई करता है, मतोला सिंह व उसकी पत्नी,दादा, दादी अपने पास रखे गहनों के बारे में मुझे बताते रहते थे मैं उनके मकान के नीचे के कमरे में रहता था एक दिन जब मैं छत पर जा रहा था तो मतोला सिंह के कमरे का गेट खुला था मैंने कमरे के अंदर जाकर देखा तो घर में नहीं थे तो बक्से में रखे जेवर देख गया और मन में लालच आ गयी यह बात मैंने राममिलन चाचा को बताया फिर हम दोनों ने मिलकर कमरे के अंदर जाकर बक्से में लगे कुंदे के हुक को पेचकस से तोड़कर बक्से में रखे सोने चांदी के आभुषण चुरा लिए थे फिर हम दोनों ने उन आभुषण में से सोने के आभुषण को कम दामों में बेच दिए थे तथा आज चांदी के आभूषण बेचने आए थे कि आप लोगो ने पकड़ लिया मेरे व चाचा के पास जो पैसे हैं इन्हीं आभुषणों को बेचने के बाद शिव कुमार सोनी द्वारा हम लोगों को दिया गया है कुछ पैसे हम लोगों को पहले दिए थे जिसमें से कुछ हम लोग ने खर्च कर दिये तथा अब जो पैसे आप लोगों ने पकड़ा है इन्हीं आभुषणों का है तथा एक-एक जोड़ी चांदी के पायल अपने लिए रख लिए थे तथा शिवकुमार सोनी द्वारा बताया गया कि ये दोनों व्यक्ति इतने सारे आभूषणों हमें बहुत कम पैसे के बचने के लिए तैयार हो गए थे तो मैं समझ गया था कि आभूषण चोरी के ही है इसीलिए मैं आज इन्हें यहां पर एकांत में लेनदेन करने के लिए आए थे मेरे पास थैले में जो आभूषण है वही इन्हीं दोनों के द्वारा बेचा गया है। उक्त कार्यवाही के दौरान ही वादी मुकदमा अपने पौत्र आयुष के साथ मौके पर आ गया उपरोक्त बरामद चांदी के जेवरात को देखकर पहचान व तस्दीक करते हुए कहा कि उक्त चोरी के आभूषण मेरे हैं जिसे मैंने कुछ दिन पहले ही पुराने से नया करवाया था ये मेरे ही आभूषण है। माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.उ0नि0 श्री सन्तप्रसाद कोतवाली कर्वी

2.चोकी प्रभारी शिवरामपुर उ0नि0 श्री सनी कुमार चतुर्वेदी

3.उ0नि0 कैलाश नाथ कोतवाली कर्वी

4. आरक्षी शिवपूजन

5. चालक आरक्षी राहुल पांडेय

6. आरक्षी दुर्गेश कुमार

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस टीम ने 04 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया ।

(1).उ0नि0 श्री अशोक कुमार राय मय हमराही आरक्षी संजीव सोनी थाना कोतवाली कर्वी द्वारा मु0अ0सं0 60/2015 धारा 138 बी विधुत अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त रईस पुत्र हनीफ निवासी भरतपुरी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(2).उ0नि0 विजय कुमार मय हमराही आरक्षी राहुल पाण्डेय थाना कोतवाली कर्वी द्वारा वाद संख्या 5522/23 धारा 138 एनआई एक्ट के वारंटी अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार निवासी भुईहरी माफी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(3).उ0नि0 श्री रविन्द्र कटियार मय हमराह मुख्य आरक्षी वीरेन्द्र कुमार, आरक्षी रामकेश कुशवाहा थाना राजापुर द्वारा अ0सं0 364/2017 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के वारंटी अभियुक्त नीतेश पटेल उर्फ अनुराग उर्फ बट्टा पुत्र रामकेश निवासी चनहट थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(4).उ0नि0 राहुल पाण्डेय मय हमराह मुख्य आरक्षी पवन थाना मऊ द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 84/24 धारा 363,506 भादवि के वारंटी अभियुक्त झिलमिल उर्फ रईस पुत्र नसीर उर्फ अनीस उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम हटवा मजरा खण्डेहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।